

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 21, 2013/ज्येष्ठ 31, 1935 No. 305] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 2013/JYAISTHA 31, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 7 जून, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा

प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (नवां संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 393(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) (इसके बाद 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (नवां संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे।
- (ii) इन विनियमों में, अन्यथा उपबंधित को छोड़कर वे 13 फरवरी, 2009 से लागू होंगे।

2. नया विनियम

मूल विनियमावली में, विनियम 13 के बाद, निम्नलिखित नया विनियम 14 जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

2768 GI/2013

"14. भारतीय कंपनियों में कुल विदेशी निवेश, भारतीय कंपनियों के स्वामित्व के अंतरण और नियंत्रण एवं भारतीय कंपनियों द्वारा डाउनस्ट्रीम निवेश की गणना के लिए दिशानिर्देश

परिभाषाएं : इस विनियम के प्रयोजन के लिए

- 1(1) स्वामित्व और नियंत्रण का अर्थ
- (क) 'निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा स्वाधिकृत' कंपनी ऐसी भारतीय कंपनी होगी, जिसकी 50% से अधिक पूँजी निवासी भारतीय नागरिकों और/अथवा भारतीय कंपनियों, जो निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा अंततः स्वाधिकृत और नियंत्रित हैं, द्वारा हिताधिकारी के रूप में स्वाधिकृत हो; किसी कंपनी को निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा 'नियंत्रित' समझा जाएगा, यदि निवासी भारतीय नागरिकों और भारतीय कंपनियों, जो निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा स्वाधिकृत और नियंत्रित हों, को ऐसी कंपनी में अधिसंख्य निदेशकों की नियुक्ति के लिए अधिकार प्राप्त हों;
- (ख) 'अनिवासियों द्वारा स्वाधिकृत' कंपनी का अर्थ ऐसी भारतीय कंपनी से है जहाँ अनिवासियों द्वारा ऐसी कंपनी की 50% से अधिक पूँजी हिताधिकारी के रूप में स्वाधिकृत हो; अनिवासियों द्वारा 'नियंत्रित' कंपनी का अर्थ ऐसी भारतीय कंपनी से है, जहाँ अनिवासियों को ऐसी कंपनी में उसके अधिसंख्य निदेशकों की नियुक्ति के लिए अधिकार प्राप्त हों;
- (ii) 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' का अर्थ अनिवासी एंटिटीज से भारतीय कंपनी को प्राप्त निवेश से है, भले ही ऐसा निवेश, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी की अनुसूची 1. 2. 3. 6 और 8 के अंतर्गत किया गया हो:
- (İİİ) 'डाउनस्ट्रीम निवेश' का अर्थ ऐसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से है जो किसी भारतीय कंपनी द्वारा किसी अन्य भारतीय कंपनी में अभिदान अथवा अर्जन के मार्फत किया गया हो:
- (İV) 'होल्डिंग कंपनी' का अर्थ वही है जो कंपनी अधिनियम, 1956 में दी गयी परिभाषा में है;
- (V) 'अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश' का अर्थ विदेशी निवेश प्राप्त किसी भारतीय कंपनी द्वारा किसी अन्य भारतीय कंपनी में किए गए संपूर्ण निवेश से है, बशर्ते (ए) भारतीय कंपनी निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा स्वाधिकृत और नियंत्रित और/अथवा भारतीय कंपनियाँ जो निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा स्वाधिकृत और नियंत्रित न हो अथवा (बी) जहाँ भारतीय कंपनी किसी अनिवासी द्वारा स्वाधिकृत अथवा नियंत्रित हो।
- तथापि, अपवाद के रूप में, किसी कार्यरत-सह-निवेशकर्ता/निवेशकर्ता कंपनियों की 100% स्वाधिकृत सहायक कंपनियों में अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश कार्यरत-सह-निवेशकर्ता/निवेशकर्ता कंपनियों में हुए विदेशी निवेश तक सीमित होगी।
- (Vi) 'निवेशकर्ता कंपनी' का अर्थ ऐसी भारतीय कंपनी से है जो किसी अन्य भारतीय कंपनी/कंपनियों में, ऐसी शेयर धारिता/प्रतिभृतियों की ट्रेडिंग को छोड़कर, केवल प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निवेश धारण किए हो;
- (Vii) 'अनिवासी एंटिटी' का अर्थ भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति से है (जैसा कि फेमा,1999 की धारा 2 (डब्ल्यू) में परिभाषित है);
- (Viii) 'निवासी एंटिटी' का अर्थ भारत में निवासी व्यक्ति से है (जैसाकि फेमा, 1999 की धारा 2(वी) में परिभाषित है), जिसमें व्यक्ति शामिल नहीं हैं;
- (İX) 'निवासी भारतीय नागरिक' का अर्थ उसी रूप में लिया जाएगा जैसाकि भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के साथ, संयुक्त रूप से, पठित फेमा, 1999 के तहत भारत में निवासी व्यक्ति की परिभाषा में दिया गया है।

- (X) किसी भारतीय कंपनी में 'क्ल विदेशी निवेश', प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश का योग होगा।
- 2. भारतीय कंपनियों में निवेश अनिवासियों के साथ-साथ निवासी भारतीय एंटिटीज, दोनों, द्वारा किया जा सकता है। किसी भारतीय कंपनी में कोई अनिवासी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। निवासी भारतीय एंटिटीज द्वारा किए गए निवेश में पुन: निवासी और अनिवासी निवेश, दोनों, शामिल होंगे। इस प्रकार, ऐसी भारतीय कंपनी में अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा, यदि उसमें निवेश करने वाली भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश हो। अप्रत्यक्ष निवेश मल्टी लेयर्ड स्टुक्चर से भी किया जा सकता है।

कुल विदेशी निवेश अर्थात् किसी भारतीय कंपनी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना के लिए दिशानिर्देश

- 3. (i) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना : भारतीय कंपनी में अनिवासी एंटिटीज द्वारा किए गए सभी प्रत्यक्ष निवेशों की गणना 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों' के रूप में की जाएगी।
- (ii) अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना : किसी अन्य भारतीय कंपनी में निवेशक कंपनी द्वारा किए गए संपूर्ण अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना के प्रयोजन के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश समझा जाएगा। यह अपवाद इसलिए रखा गया है क्योंकि कार्यरत-सह-निवेशकर्ता/निवेशकर्ता कंपनियों की 100% स्वाधिकृत सहायक कंपनियों में डाउनस्ट्रीम निवेश, होल्डिंग कंपनी द्वारा किए गए निवेश के समान होता है और डाउनस्ट्रीम निवेश होल्डिंग कंपनी की प्रतिकृति (mirror image) होना चाहिए। यह अपवाद, हालांकि खासकर उन मामलों के लिए है जहाँ डाउनस्ट्रीम सहायक कंपनी की संपूर्ण पूँजी होल्डिंग कंपनी द्वारा स्वाधिकृत है।
- (İİİ) कुल विदेशी निवेश की गणना का तरीका भारतीय कंपनियों में प्रत्येक स्तर पर हुए निवेश और इस प्रकार प्रत्येक भारतीय कंपनी के लिए अमल में लाया जाएगा।

(V) अतिरिक्त अपेक्षाएं

- (क) भारतीय कंपनी/कंपनियों में किए जाने वाले विदेशी निवेश के संपूर्ण ब्योरे, जिनमें स्वामित्व के ब्योरे आदि शामिल हैं और कंपनी/कंपनियों के नियंत्रण के ब्योरे संबंधित कंपनी/कंपनियों द्वारा भारत सरकार को अनुमोदन लेते समय प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (ख) ऐसे क्षेत्र/गतिविधि, जिनसे संबंधित विदेशी निवेश हेतु सरकारी अनुमोदन अपेक्षित है, के संबंध में और ऐसे मामलों, जिनसे शेयरधारकों के बीच/में से ऐसे परस्पर करारों से निदेशक मंडल की नियुक्ति या मताधिकार के प्रयोग या शेयरधारिता की तुलना में अनुपातहीन रूप से पैदा किए गए मताधिकारों या अन्य किसी प्रासंगिक मामले पर असर पड़ता हो, के संबंध में अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी को सूचना दी जानी चाहिए। अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी विदेशी निवेश के अनुमोदन से संबंधित मामले पर विचार करते समय स्वामित्व एवं नियंत्रण निर्धारित करने हेतु ऐसे परस्पर करारों पर विचार करेगा।
- (ग) जहां तक शेष इक्विटी का संबंध है वह ऐसे क्षेत्रों, जहां क्षेत्रवार उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है, अर्थात् क्षेत्रवार विदेशी निवेश सीमा से अधिक हो, निवासी भारतीय नागरिकों और भारतीय कंपनियों, जो भारतीय नागरिकों के स्वामित्व व नियंत्रणाधीन हैं, द्वारा लाभकारी रूप में स्वाधिकृत/धारित/के हाथ में होनी चाहिए।
- (घ) आई एंड बी और रक्षा क्षेत्रों, जिनके लिए क्षेत्रवार सीमा 49% से कम निर्धारित की गई है, से संबंधित कंपनी भारतीय नागरिकों और भारतीय नागरिकों के स्वामित्व व नियंत्रणाधीन भारतीय कंपनियों द्वारा ''स्वाधिकृत और नियंत्रित'' होनी आवश्यक है।
 - (क) इस प्रयोजनार्थ, सबसे बड़े शेयरधारक द्वारा धारित इक्विटी कुल इक्विटी के कम-से-कम 51% होनी चाहिए। इस इक्विटी के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4ए में यथापरिभाषित

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित इक्विटी शामिल नहीं है। इस वाक्यांश में प्रयुक्त ''सबसे बड़े भारतीय शेयरधारक'' शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित मदों में से किसी एक या उससे अधिक मदें शामिल होंगी :

- (कक) वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में,
 - (ककi) वैयक्तिक शेयरधारक,
 - (ककां i) शेयरधारक का ऐसा रिश्तेदार जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में विनिर्दिष्ट तात्पर्य के अंतर्गत आता हो,
 - (ककां ii) ऐसी कंपनी/कंपनी समूह, जिसके प्रबंधन में वैयक्तिक शेयरधारक/हिंदू अविभक्त परिवार शामिल हो और उसके पास नियंत्रक हिताधिकार हो।
 - (कख) भारतीय कंपनी के मामले में.
 - (कखां) भारतीय कंपनी
 - (कखii) एक ही प्रबंध-तंत्र और स्वामित्व नियंत्रण के अंतर्गत वाली भारतीय कंपनियों का समूह।
- (ख) इस खंड के प्रयोजनार्थ, ''भारतीय कंपनी'' का तात्पर्य उस कंपनी से है जिसके कुल शेयरों में एक निवासी भारतीय या उसके रिश्तेदार, जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषा उल्लिखित है, की शेयरधारित एकल रूप से या संयुक्त रूप से कम-से-कम 51% की हो।
- (ग) बशर्ते, उपर्युक्त उप-खंडों (कक) और (कख) में उल्लिखित सभी या किसी संस्थाओं के संयुक्त रूप के मामले में प्रत्येक पार्टी आवेदक कंपनी के कार्य-संचालन में एक एकल इकाई के रूप में कार्य करने हेतु विधिक रूप से बाध्यकारी करारबद्ध हुई हो।
- (ङ) यदि कोई व्यक्ति एक अनिवासी संस्था द्वारा धारित लाभकारी हिताधिकार के संबंध में भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 187सी के अनुसार घोषणा करता हो तो उस स्थिति में उस निवेश को विदेशी निवेश की कोटि में शामिल किया जाएगा, भले ही वह निवेश किसी निवासी भारतीय नागरिक द्वारा किया गया हो।
- 4. उपर्युक्त नीति व कार्य-पद्धित सभी क्षेत्रों में किए जाने वाले कुल विदेशी निवेश के निर्धारणार्थ लागू होगी, जबिक इनमें वे क्षेत्र शामिल नहीं हैं, जिनके संबंध में किसी संविधि या नियम में अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया हो। अतः प्रत्यक्ष व परोक्ष विदेशी निवेश की उपर्युक्त कार्य-पद्धित बीमा क्षेत्र पर लागू नहीं होगी, जिसे संबंधित विनियमावली द्वारा विनियमित किया जाना जारी रहेगा।

ऐसे क्षेत्रों, जिनके संबंध में उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है, के अंतर्गत भारतीय कंपनियों की स्थापना/भारतीय नागरिकों और भारतीय कंपनियों से भारतीय कंपनियों के स्वामित्व या नियंत्रण में अंतरण संबंधी दिशा-निर्देश।

- 5. अन्य के साथ-साथ, रक्षा उत्पादन, वायु यातायात सेवाएं, भूतल-हैंडलिंग सेवाओं, आस्ति पुनर्निर्माण कंपिनयों, निजी क्षेत्र बैंकिंग, प्रसारण, पण्य बाजारों, क्रेडिट सूचना कंपिनयों, बीमा, प्रिंट मीडिया, दूरसंचार और उपग्रह सिहत ऐसे क्षेत्र/गतिविधियां जिनमें सीमाएं लागू हैं, उन सभी मामलों में सरकार का अनुमोदन/एफआईपीबी का अनुमोदन अपेक्षित होगा जहां:
 - (i) कोई भारतीय कंपनी विदेशी निवेश से स्थापित की जा रही हो और उसका स्वामित्व किसी निवासी निकाय का न हो: या

- (ii) कोई भारतीय कंपनी विदेशी निवेश से स्थापित की जा रही हो और उसका नियंत्रण किसी निवासी निकाय का न हो या
- (iii) किसी मौजूदा भारतीय कंपनी का नियंत्रण, जिसका वर्तमान स्वामित्व या नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों और भारतीय कंपनियों के पास है, जो निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व या नियंत्रण में हैं और समामेलन, विलयन/विभाजन, अधिग्रहण आदि के जिरए किसी अनिवासी को उसके शेयरों के अंतरित होने/और या नए शेयरों के जारी करने के फलस्वरूप उन्हें किसी अनिवासी निकाय को हस्तातंरित किया जाएगा/दिया जा रहा हो या
- (İV) किसी मौजूदा भारतीय कंपनी का स्वामित्व, जिसका वर्तमान स्वामित्व या नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों और भारतीय कंपनियों के पास है, जो निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व या नियंत्रण में हैं और समामेलन, विलयन/विभाजन, अधिग्रहण आदि के जिरए किसी अनिवासी को उसके शेयरों के अंतरित होने/और या नए शेयरों के जारी करने के फलस्वरूप उन्हें किसी अनिवासी निकाय को हस्तातंरित किया जाएगा/दिया जा रहा हो या
- (V) यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन क्षेत्रों/गतिविधियों में विदेशी निवेश की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है वहां ये दिशानिर्देश नहीं लागू होंगे अर्थात् जहां आटोमैटिक् रूट से 100% विदेशी निवेश की अनुमति है।
- (Mi) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना करने के लिए विदेशी निवेश के तहत किसी भारतीय कंपनी में डाउनस्ट्रीम निवेश के रूप में किए गए सभी प्रकार के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल होंगे। इस प्रयोजन के लिए पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार एफआईआई, एनआरआई या क्यूएफआई का पोर्टफोलियो निवेश हिसाब में लिया जाएगा, उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए विदेशी निवेश की निगरानी के लिए, 31 मार्च 2011 के अनुसार निवेश को हिसाब में लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एफडीआई, फारेन वैंचर कैपिटल इन्वैस्टमैंट, एडीआर/जीडीआर, एफसीसीबी को भी हिसाब में लिया जाएगा। इस प्रकार, अनुसूची 1,2,3,6 तथा 8 के अधीन किए गए निवेश हिसाब में लिए जाएंगे।

ऐसी भारतीय कंपनी द्वारा डाउनस्टीम निवेश जो निवासी संस्था/संस्थाओं के स्वामित्व/नियंत्रण में नहीं है।

6. (i) किसी अन्य भारतीय कंपनी में ऐसी भारतीय कंपनी का डाउनस्ट्रीम निवेश जो निवासी संस्था/संस्थाओं के स्वामित्व/नियंत्रण में नहीं है, इस अन्य भारतीय कंपनी द्वारा कार्यरत क्षेत्रों के संबंध में संगत क्षेत्रीय प्रवेश रूट, शर्तों तथा उच्चतम सीमा के अधीन होगा।

टिप्पणी : 31 जुलाई 2012 से, किसी बैंकिंग कंपनी जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा (5) के खंड (सी) में यथापरिभाषित है और जो भारत में निगमित है और जो अनिवासियों/अनिवासी संस्था/अनिवासी संस्थाओं के स्वामित्व में तथा/या नियंत्रण में है, द्वारा सीडीआर के अधीन या किसी अन्य ऋण पुनर्गठन क्रियाविधि के अधीन या व्यापारिक बहियों में या ऋण में चूक के कारण शेयरों के अधिग्रहण के लिए किए गए डाउनस्ट्रीम निवेश को अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं माना जाएगा। तथापि, उनके 'स्ट्रेटेजिक डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमैंट' को अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिना जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, 'स्ट्रेटेजिक डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमैंट' का अभिप्राय होगा इन बैंकिंग कंपनियों द्वारा अपनी सहायक संस्थाओं, संयुक्त उद्यमों तथा सहबद्ध संस्थाओं में निवेश।

- (ii) भारतीय कंपनियों द्वारा डाउनस्ट्रीम निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगाः
 - (क) ऐसी कंपनी को ऐसे निवेश के 30 दिन के भीतर http://www.fipbindia.com पर उपलब्ध फार्म में डाउनस्ट्रीम निवेश की सूचना एसआईए, डीआईपीपी तथा एफआईपीबी को देनी होगी, भले ही

वर्तमान उद्यमों में निवेश की कार्यविधि के साथ पूंजी लिखत आबंटित न किए गए हों (विस्तार कार्यक्रम के साथ/विस्तार कार्यक्रम के बिना);

- (ख) किसी वर्तमान भारतीय कंपनी में विदेशी ईक्विटी के माध्यम से डाउनस्ट्रीम निवेश उसके निदेशक मंडल के संकल्प द्वारा विधिवत समर्थित होना चाहिए और शेयरधारकों के करार से भी, यदि कोई हो:
- (ग) शेयरों का निर्गमन /अंतरण/मूल्य निर्धारण/वैल्युएशन सेबी/आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार होगा;
- (घ) डॉउनस्ट्रीम निवेश के प्रयोजन के लिए डॉउनस्ट्रीम निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों को आवश्यक/पर्याप्त निधि विदेशों से लाना होगा न कि भारतीय बाज़ार की निधि का प्रयोग किया जाएगा। तथापि इससे डॉउनस्ट्रीम प्रचालित करने वाली कंपनियों को भारतीय बाज़ार से कर्ज़ लेने से रोका नहीं जाएगा। किसी भारतीय कंपनी को आंतरिक उपचयों द्वारा डॉउनस्ट्रीम निवेश केवल तभी स्वीकार्य है, जब वह किसी दूसरी भारतीय कंपनी/कंपनियों की पूंजी में निवेश करने में सिम्मिलित हो और जब वह ऊपर दिए प्रावधानों तथा नीचे वर्णन के अनुसार हो:-
 - (अ) किसी ऐसी भारतीय कंपनी जो केवल अन्य भारतीय कंपनी/कंपनियों की पूंजी में निवेश करने के कार्य में जुड़ी हो, में निवेश के लिए, सरकार/एफआईपीबी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी, चाहे विदेशी निवेश कितनी ही राशि का हो अथवा कितना ही विस्तारित हो। सीधी विदेशी निवेश (एफडीआई) की गति-विधियों के लिए अनुमोदित किसी गैर-बैंकिंग वितीय कंपनियों (एनबीएफसी) में विदेशी निवेश इन दिशानिर्देशों के शिड्युल 1 के संलग्नक बी में दी गई शर्तों के अनुसार होगा।
 - (आ) मूलरूप/प्रमुख रूप से निवेश कार्य में जुड़ी कंपनियों को इसके अतिरिक्त सीआईसी के लिए आरबीआई के नियमन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
 - (इ) किसी ऐसी भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश करने के लिए, जिसके परिचालन नहीं हो रहे और जिसका कोई डॉउनस्ट्रीम निवेश भी नहीं है, सरकार का/एफआईपीबी का अनुमोदन आवश्यक होगा, भले ही विदेशी निवेश की राशि या सीमा कुछ भी हो। इसके अतिरिक्त जब भी ऐसी कोई कंपनी कारोबार प्रारम्भ करती है या डॉउनस्ट्रीम निवेश करती है तो उसे संबंधित क्षेत्र संबंधी प्रवेश रूट, शर्तों तथा उच्चतम सीमाओं का पालन करना होगा।

िटप्पणीः अन्य भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश संबंधित क्षेत्र संबंधी प्रवेश रूट, शर्तों तथा उच्चतम सीमा के अनुसरण/अनुपालन के अधीन होगा। (इ) प्रथम स्तर पर एफडीआई प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी, जो एफडीआई शर्तों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी है जैसे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश न हो, प्रवेश रूट, दूसरे स्तर पर किसी सहायक कंपनी में उसके द्वारा डॉउनस्ट्रीम निवेश के लिए क्षेत्रीय सीमा/शर्तें और इसी प्रकार की शर्तें, वार्षिक आधार पर अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों से डॉउनस्ट्रीम निवेश तथा फेमा उपबंधों के संबंध में अनुपालन का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी। यदि सांविधिक लेखा परीक्षक ने इस आशय का प्रमाणपत्र दे दिया है कि डॉउनस्ट्रीम निवेश तथा फेमा शर्तों का अनुपालन कंपनी ने कर दिया है, तो यह तथ्य भारतीय कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में विधिवत उल्लिखित किया जाएगा। यदि सांविधिक लेखा परीक्षक ने सशर्त रिपोर्ट दी है, तो इसकी जानकारी तुरंत भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को दी जाएगी जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का कार्यालय स्थित है और क्षेत्रीय कार्यालय से इस आशय की पावती प्राप्त करेगी कि सशर्त रिपोर्ट दे देने की सूचना दे दी गई है।

क्षेत्रीय कार्यालय की गई कार्रवाई की रिपोर्ट विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई, 400001 को देगा ।"

3. अनुसूची 1 का संशोधन

मूल विनियमावली में, अनुसूची 1 में, पैराग्राफ 2 में उप-पैराग्राफ (1) के परन्तुक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :

"बशर्ते कि भारतीय कंपनी द्वारा शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचर किसी भारतीय कंपनी के वर्तमान शेयरों के अधिग्रहण के लिए जारी नहीं किये जा रहे। तथापि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त कर रही भारतीय कंपनी द्वारा डॉउनस्ट्रीम निवेश की अनुमित विनियम 14 में विनिर्दिष्ट सीमा तक अनुमत होगा।

[स. फेमा. 278/2013-आरबी]

रुद्र नारायण कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : प्रमुख नियमन शासकीय राजपत्र द्वारा सा.का.नि. संख्या. 406(अ) दिनांक 8 मई 2000, भाग II, खंड 3, उप-खंड (İ), में प्रकाशित किया गया और बाद में निम्नानुसार संशोधित किया गयाः

- (क) सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001
- (ख) सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001
- (ग) सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001
- (घ) सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002
- (ङ) **सा.का.नि.** सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002
- (च) सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003
- (छ) सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003
- (ज) सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003
- (झ) सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003
- (ञ) **सा.का.नि**. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003
- (ट) सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004
- (ठ) सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004
- (ड) **सा.का.नि**. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004
- (ढ) सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004
- (ण) सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004
- (त) सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005
- (थ) सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005
- (द) **सा.का.नि.** सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005
- (ध) सा.का.नि. सं.. 505(अ) दिनांक 25.07.2005

- (न) सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005
- (न) **सा.का.नि.** सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005
- (प) **सा.का.नि**. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006
- (फ) **सा.का.नि.** सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006
- (ब) सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007
- (भ) सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007
- (म) **सा.का.नि.** सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007
- (य) सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008
- (र) **सा.का.नि.** सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008
- (ऱ) **सा.का.नि.** सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009
- (ल) सा.का.नि. सं. 341 (अ) दिनांक 21.04.2010
- (ळ) सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012
- (ऴ) सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012
- (व) सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012
- (श) सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012
- (ष) सा.का.नि. सं.946(अ) 31.12.2012
- (स) **सा.का.नि.** सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013
- (ह) **सा.का.नि**. सं._____ दिनांक _____
- (कक) सा.का.नि. सं.____ दिनांक _____
- (खख) **सा.का.नि**. सं. दिनांक
- (गग) सा.का.नि. सं. दिनांक
- (घघ) **सा.का.नि**. सं. दिनांक
- (ङङ) **सा.का.नि.** सं.195 (अ) दिनांक 01.04.2013

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th, June, 2013

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Ninth Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 393(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person

Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), hereinafter referred to as 'the principal Regulations,' namely:-

1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) (Ninth Amendment) Regulations, 2013.
- (ii) Save as otherwise provided in these Regulations, they shall come into force from the February 13, 2009.

2. New Regulation

In the principal Regulations, after Regulation 13, the following new Regulation 14 shall be added, namely:-

"14. Guidelines for calculation of total foreign investment in Indian companies, transfer of ownership and control of Indian companies and downstream investment by Indian companies

Definition: for the purpose of this regulation,

- 1 (i) Ownership and Control shall mean
- a) Company 'Owned by resident Indian citizens' shall be an Indian company if more than 50% of the capital in it is beneficially owned by resident Indian citizens and/or Indian companies, which are ultimately owned and controlled by resident Indian citizens; Company shall be considered 'Controlled' by resident Indian citizens if the residents Indian citizens and Indian companies, which are owned and controlled by resident Indian citizens, have the power to appoint a majority of its directors in that company;
- b) Company 'Owned by non-residents' means an Indian company where more than 50% of the capital in it is beneficially owned by non-residents; Company 'Controlled' by non-residents means an Indian company where non-residents have the power to appoint a majority of its directors in that company;
- (ii) 'Direct foreign investment' shall mean investment received by an Indian Company from non-resident entities regardless of whether the said investments have been made under Schedule 1, 2, 3, 6 and 8 of the Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated May 3, 2000, as amended from time to time;
- (iii) 'Downstream investment' means indirect foreign investment, by one Indian company into another Indian company, by way of subscription or acquisition;
- (iv) 'Holding Company' would have the same meaning as defined in Companies Act 1956;
- (v) 'Indirect foreign investment' means entire investment in other Indian companies by an Indian company (IC), having foreign investment in it provided (a) IC is not 'owned **and** controlled' by resident Indian citizens and/or Indian Companies which are owned and controlled by resident Indian citizens or (b) where the IC is owned **or** controlled by non-residents.

However, as an exception, the indirect foreign investment in the 100% owned subsidiaries of operating-cum-investing/investing companies will be limited to the foreign investment in the operating-cum-investing/investing company.

- (vi) 'Investing Company' means an Indian company holding only investments in other Indian company/ies directly or indirectly, other than for trading of such holdings/securities;
- (vii) 'Non-Resident Entity' means 'person resident outside India' (as defined at Section 2(w) of FEMA, 1999);
- (viii) 'Resident Entity' means 'person resident in India' (as defined at Section 2(v) of FEMA, 1999), excluding an individual;
- (ix) 'Resident Indian citizen' shall be interpreted in line with the definition of person resident in India as per FEMA, 1999, read in conjunction with the Indian Citizenship Act, 1955.
- (x) 'Total foreign investment' in an Indian Company would be the sum total of direct and indirect foreign investment.
- 2. Investment in Indian companies can be made by both non-resident as well as resident Indian entities. Any non-resident investment in an Indian company is direct foreign investment. Investment by resident Indian entities could again comprise both resident and non-resident investments. Thus, such an Indian company would have indirect foreign investment if the Indian investing company has foreign investment in it. The indirect investment can also be through multi-layered structure.

Guidelines for calculation of total foreign investment, i.e., direct and indirect foreign investment in an Indian company.

- 3.(i) Counting of Direct foreign investment: All investments made directly by non-resident entities into the Indian company would be counted towards 'Direct foreign investment'.
- (ii) Counting of indirect foreign Investment: The entire indirect foreign investment by the investing company into the other Indian Company would be considered as indirect foreign investment for the purpose of computation of indirect foreign investment. However, as an exception, the indirect foreign investment in the 100% owned subsidiaries of operating-cum-investing/investing companies will be limited to the foreign investment in the operating-cum-investing/ investing company. This exception has been made since the downstream investment of a 100% owned subsidiary of the holding company is akin to investment made by the holding company and the downstream investment should be a mirror image of the holding company. This exception, however, is strictly for those cases where the entire capital of the downstream subsidiary is owned by the holding company.
- (iii) The methodology for calculation of total foreign investment would apply at every stage of investment in Indian companies and thus in each and every Indian company.

(iv) Additional requirements

- (A) The full details about the foreign investment including ownership details etc. in Indian company /ies and information about the control of the company /ies would be furnished by the Company /ies to the Government of India at the time of seeking approval.
- (B) In any sector/activity, where Government approval is required for foreign investment and in cases where there are any *inter-se* agreements between/amongst share-holders which have an effect on the appointment of the Board of Directors or on the exercise of voting rights or of creating voting rights disproportionate to shareholding or any incidental matter thereof, such agreements will have to be informed to the approving authority. The approving authority will consider such *inter-se* agreements for determining ownership and control when considering the case for approval of foreign investment.
- (C) In all sectors attracting sectoral caps, the balance equity i.e. beyond the sectoral foreign investment cap, would specifically be beneficially owned by/held with/in the hands of resident Indian citizens and Indian companies, owned and controlled by resident Indian citizens.
- (D) In the I& B and Defence sectors where the sectoral cap is less than 49%, the company would need to be "owned **and** controlled" by resident Indian citizens and Indian companies, which are owned and controlled by resident Indian citizens.
 - (a) For this purpose, the equity held by the largest Indian shareholder would have to be at least 51% of the total equity, excluding the equity held by Public Sector Banks and Public Financial Institutions, as defined in Section 4A of the Companies Act, 1956. The term "largest Indian shareholder", used in this clause, will include any or a combination of the following:
 - (aa) In the case of an individual shareholder,
 - (aai) The individual shareholder,
 - (aaii) A relative of the shareholder within the meaning of Section 6 of the Companies Act, 1956.
 - (aaiii) A company/ group of companies in which the individual shareholder/HUF to which he belongs has management and controlling interest.
 - (ab) In the case of an Indian company,
 - (abi) The Indian company
 - (abii) A group of Indian companies under the same management and ownership control.
 - (b) For the purpose of this Clause, "Indian company" shall be a company which must have a resident Indian or a relative as defined under Section 6 of the Companies Act, 1956/ HUF, either singly or in combination holding at least 51% of the shares.
 - (c) Provided that, in case of a combination of all or any of the entities mentioned in sub-clauses (aa) and (ab) above, each of the parties shall have entered into a legally binding agreement to act as a single unit in managing the matters of the applicant company.

- (E) If a declaration is made by persons as per section 187C of the Indian Companies Act about a beneficial interest being held by a non-resident entity, then even though the investment may be made by a resident Indian citizen, the same shall be counted as foreign investment.
- 4. The above mentioned policy and methodology would be applicable for determining the total foreign investment in all sectors, except in sectors where it is specified in a statute or a rule there under. The above methodology of determining direct and indirect foreign investment therefore does not apply to the insurance sector which will continue to be governed by the relevant Regulation.

Guidelines for establishment of Indian companies/ transfer of ownership or control of Indian companies, from resident Indian citizens and Indian companies to non-resident entities, in sectors with caps.

- 5. In sectors/activities with caps, including, *inter-alia*, defence production, air transport services, ground handling services, asset reconstruction companies, private sector banking, broadcasting, commodity exchanges, credit information companies, insurance, print media, telecommunications and satellites, Government approval/FIPB approval would be required in all cases where:
 - (i) An Indian company is being established with foreign investment and is not owned by a resident entity or
 - (ii) An Indian company is being established with foreign investment and is not controlled by a resident entity or
 - (iii) The control of an existing Indian company, currently owned or controlled by resident Indian citizens and Indian companies, which are owned or controlled by resident Indian citizens, will be/is being transferred/passed on to a non-resident entity as a consequence of transfer of shares and/or fresh issue of shares to non-resident entities through amalgamation, merger/demerger, acquisition, etc. or
 - (iv) The ownership of an existing Indian company, currently owned or controlled by resident Indian citizens and Indian companies, which are owned or controlled by resident Indian citizens, will be/is being transferred/passed on to a non-resident entity as a consequence of transfer of shares and/or fresh issue of shares to non-resident entities through amalgamation, merger/demerger, acquisition, etc. or
 - (v) It is clarified that these guidelines will not apply to sectors/activities where there are no foreign investment caps, that is, where 100% foreign investment is permitted under the automatic route.
 - (vi) For the purpose of computation of indirect foreign investment, foreign investment shall include all types of direct foreign investments in the Indian company making downstream investment. For this purpose portfolio investments either by FIIs, NRIs or QFIs holding as on March 31 of the previous year would be taken into account. e.g. for monitoring foreign investment for the financial year 2011-12, investment as on March 31, 2011 would be taken into account. Besides, investments in the form of Foreign Direct Investment, Foreign Venture Capital investment, ADRs/GDRs, Foreign Currency Convertible Bonds (FCCB) will also be taken in account. Thus, regardless of the investments having been made under Schedule 1, 2, 3, 6 and 8, the same will be taken into account.

Downstream investment by an Indian company which is not owned and/or controlled by resident entity/ies.

6. (i) Downstream investment by an Indian company, which is not owned and/ or controlled by resident entity/ies, into another Indian company, would be in accordance/compliance with the relevant sectoral conditions on entry route, conditionalities and caps, with regard to the sectors in which the latter Indian company is operating.

Note: With effect from 31st day of July, 2012, Downstream investment/s made by a banking company, as defined in clause (c) of Section 5 of the Banking Regulation Act, 1949, incorporated in India, which is owned and/or controlled by non-residents/ a non-resident entity/non-resident entities, under Corporate Debt Restructuring (CDR), or other loan restructuring mechanism, or in trading books, or for acquisition of shares due to defaults in loans, shall not count towards indirect foreign investment. However, their 'strategic downstream investment' shall count towards indirect foreign investment. For this purpose, 'strategic downstream investments' would mean investment by these banking companies in their subsidiaries, joint ventures and associates.

- (ii) Downstream investments by Indian companies will be subject to the following conditions:
- (a) Such a company has to notify Secretariat for Industrial Assistance, DIPP and FIPB of its downstream investment in the form available at http://www.fipbindia.com within 30 days of such investment, even if capital instruments have not been allotted along with the modality of investment in new/existing ventures (with /without expansion programme);

- (b) downstream investment by way of induction of foreign equity in an existing Indian Company to be duly supported by a resolution of its Board of Directors as also a Shareholders' Agreement, if any;
- (c) issue/transfer/pricing/valuation of shares shall continue to be in accordance with extant SEBI/RBI guidelines;
- (d) For the purpose of downstream investment, the Indian companies making the downstream investments would have to bring in requisite funds from abroad and not use funds borrowed in the domestic market. This would, however, not preclude downstream operating companies, from raising debt in the domestic market. Downstream investments through internal accruals are permissible by an Indian company engaged only in activity of investing in the capital of another Indian company /ies, subject to the provisions above and as also elaborated below:
 - A. Foreign investment into an Indian company, engaged only in the activity of investing in the capital of other Indian company /ies, will require prior Government/FIPB approval, regardless of the amount or extent of foreign investment. Foreign investment into Non-Banking Finance Companies (NBFCs), carrying on activities approved for FDI, will be subject to the conditions specified in Annex-B of Schedule 1 to these Regulations;
 - B. Those companies, which are Core Investment Companies (CICs), will have to additionally follow RBI's Regulatory Framework for CICs.
 - C. For infusion of foreign investment into an Indian company which does not have any operations and also does not have any downstream investments, Government/FIPB approval would be required, regardless of the amount or extent of foreign investment. Further, as and when such a company commences business(s) or makes downstream investment, it will have to comply with the relevant sectoral conditions on entry route, conditionalities and caps.

Note: Foreign investment into other Indian companies would be in accordance/compliance with the relevant sectoral conditions on entry route, conditionalities and caps.

(e) The FDI recipient Indian company at the first level which is responsible for ensuring compliance with the FDI conditionalities like no indirect foreign investment in prohibited sector, entry route, sectoral cap/conditionalities, etc. for the downstream investment made by in the subsidiary companies at second level and so on and so forth would obtain a certificate to this effect from its statutory auditor on an annual basis as regards status of compliance with the instructions on downstream investment and compliance with FEMA provisions. The fact that statutory auditor has certified that the company is in compliance with the regulations as regards downstream investment and other FEMA prescriptions will be duly mentioned in the Director's report in the Annual Report of the Indian company. In case statutory auditor has given a qualified report, the same shall be immediately brought to the notice of the Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department (FED), Regional Office (RO) of the Reserve Bank in whose jurisdiction the Registered Office of the company is located and shall also obtain acknowledgement from the RO of having intimated it of the qualified auditor report. RO shall file the action taken report to the Chief General Manager-in-Charge, Foreign Exchange Department, Reserve Bank of India, Central Office, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Road, Mumbai-400001."

3. Amendment of Schedule 1

In the principal Regulation, in Schedule 1, in paragraph 2 for the proviso to sub-paragraph (1), the following shall be substituted, namely;-

"Provided that the shares or convertible debentures are not being issued by the Indian company with a view to acquire existing shares of any Indian company. However, downstream investment by an Indian company receiving Foreign Direct Investment would be permitted to the extent specified in Regulation14."

[No. FEMA, 278/2013-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note:—The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under :—

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001 G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001 G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001 G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002

- G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002
 G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003
 G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003
 G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003
 G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003
 G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003
 G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004
 G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004
 G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004
 G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004
- G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004
- G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005
- G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005
- G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005
- G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005
- G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005
- G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005
- G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006
- G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006
- G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007
- G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
- G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
- G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
- G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
- G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
- G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
- G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
- G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
- G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
- G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
- G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012
- G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013
- G.S.R.No._____ dated ______
- G.S.R.No._____ dated _____,
- G.S.R.No._____ dated _____,
- G.S.R.No._____ dated _____.
- G.S.R.No.____ dated _____
- G.S.R.No.195(E) dated 01.04.2013